न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
36/2024 प्रा.पत्र/2024	12.06.2024	05.06.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री अनिल पारीक पुत्र श्री मुरारी लाल पारीक निवासी कृष्णा कॉलोनी टोंक रोड निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स आईपर मार्ट प्राईवेट लिमिटेड वन विभाग की चौकी के पास टोक रोड निवाई जिला टोंक राज0। पिनकोड–304021/हेड ऑफिस–प्लॉट नं0 10/आईबी/28 बगराना रिंग रोड योजना, आगरा रोड जयपुर राज0। पिनकोड–302031 मोबाईल नं0 9929859080।

2–मैसर्स आईपर मार्ट प्राईवेट लिमिटेड वन विभाग की चौकी के पास टोक रोड निवाई जिला टोंक राज0। /हेड ऑफिस–प्लॉट नं0 10/आईबी/28 बगराना रिंग रोड योजना, आगरा रोड जयपुर राज0। पिनकोड–302031

3–श्री शान्ति कुमार जैन प्रोपरायटर मैसर्स गणेश लाल जय कुमार एण्ड सन्स दुकान नं0 ए–56 राजधानी कृषि उपज मण्डी सीकर रोड जयपुर राज0। पिनकोड–302013 मोबाईल नं0 9414042790।

4– मैसर्स गणेश लाल जय कुमार एण्ड सन्स दुकान नं0 ए–56 राजधानी कृषि उपज मण्डी सीकर रोड जयपुर राज0। पिनकोड–302013

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii)एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री प्रमोद शर्मा उप0।

:–<u>निर्णय</u>–: दिनांक 05/6/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.09.2023 को समय 02:45 पी.एम. पर मैसर्स आईपर मार्ट प्राईवेट लिमिटेड वन विभाग की चौकी के पास टोक रोड निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री अनिल पारीक पुत्र श्री मुरारी लाल पारीक अपने प्रतिष्ठान मैसर्स आईपर मार्ट प्राईवेट लिमिटेड वन विभाग की चौकी के पास टोक रोड निवाई जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ गुड, तेल, घी, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हुए उपस्थित मिला, श्री अनिल पारीक पुत्र श्री मुरारी लाल पारीक को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री अनिल पारीक पुत्र श्री मुरारी लाल पारीक ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होना स्वीकार किया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया ।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में गुड, तेल, घी, मसाले, के साथ–साथ दुकान की रैक में 42 मूल पॉली पैंक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 500–500 ग्राम पैक **धनिया पावडर (जे.के. ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री अनिल पारीक पुत्र श्री मुरारी लाल पारीक को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री अनिल पारीक पुत्र श्री मुरारी लाल पारीक व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि दुकान की रैक में लगभग 42 मूल पॉली पैंक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 500–500 ग्राम **धनिया पावडर (जे.के.ब्राण्ड)** जिसके बैंच नं0 सीपी/34/23 एल एवं पैंकिग की दिनांक फरवरी–2023 थी, ज्यों का त्यों पैक्ड अवस्था में 500–500 ग्राम मूल पैक के 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **धनिया पावडर (जे.के.ब्राण्ड)** 4 मूल पैंक प्रत्येक 500–500 ग्राम पैक को ज्यों का त्यों कागज के गत्ते के 4 डिब्बों में अलग अलग प्रत्येक डिब्बे में 1–1 पॉली पैक प्रत्येक 500–500 ग्राम रखकर, डिब्बों के ढक्कन को नियमानुसार अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर, नियमानुसार चार भाग तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3777 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3777 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री अनिल पारीक पुत्र श्री मुरारी लाल पारीक मैसर्स आईपर मार्ट प्राईवेट लिमिटेड वन विभाग की चौकी के पास टोक रोड निवाई जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स गणेश लाल जय कुमार एण्ड सन्स दुकान नं0 ए–56 राजधानी कृषि उपज मण्डी सीकर रोड जयपुर का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना अवगत कराया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/3900 दिनांक 17.10.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एलएस/3890/एक्ट/2023/3999 दिनांक 04.10.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **धनिया पावडर (जे.के.ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011के अनुसार **अवमानक(Sub-Standard)**स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से मोहित गूर्जर उपस्थित हुए एवं अप्रार्थी सं0 3 व 4(निर्माता फर्म) की ओर से उनके अभिभाषक श्री प्रमोद शर्मा उपस्थित हुए तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **धनिया पावडर (जे.के.ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अप्रार्थी, अभिभाषक एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **धनिया पावडर (जे.के.ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने वारन्टी बिल के आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय किया है। अतः अप्रार्थी सं0 1 व 2 को दोषमुक्त किया है तथा अप्रार्थी सं0 3 व 4 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं0 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/6/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(समरतन सोकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक